R. T. RATHOD STAMP VENDOR L. No. 06/75-76 Dhanbad Court Dhanbad

R. T. RATHOD STAMP VENDOR L. No. 06/75-76 Dhanbad Court Dhanbad ONE RUPEE

आवेदन की तिथि 9/12/17
अधिसूचना कि तिथि 11/12/17
निर्गत तिथि 12/12/17

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

जमीन मापी अभिलेख सं० 40 / 2017-18

क्र	आदेश फलक	अभियुक्ति
	श्री / श्रीमति जितेन्द्र सिंह पिता / पति [illegible] साo [illegible] जिला धनबाद ने आवेदन पत्र समर्पित किया है कि मौजा [illegible] थाना नं० 06 खाता नं० 196 प्लाट नं० 4334 रकवा [illegible] जमीन का मापी हेतु अनुरोध किया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उन्होंने मापी शुल्क लेकर मापी हेतु अनुशंसा किया है। आवेदक / आवेदिका ने एक दिन का मापी शुल्क अंचल नजारत में जमा कर दिया है। अतः दिनांक 19/9/17 मापी हेतु अंचल अमीन को आदेश निर्गत करें। साथ ही एक पक्ष के अन्दर मापी प्रतिवेदन एंव नक्शा मांगें। 01/09/17 अंचल अधिकारी धनबाद। अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 19/9/17 को थाना को सूचना नहीं होने के कारण मापी नहीं हो सका। अगली तिथि दिनांक 16/10/17 को निर्धारित करें। 22/09/17 अंचल अधिकारी धनबाद। अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 16/10/17 को अंचल अमीन द्वारा मापी किया गया। जिसमें [illegible] नक्शा एवं प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 11/12/17 अंचल अधिकारी	

मेरे द्वारा फोटो कोपी किया गया [illegible]

मैने मिलान किया

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

अंचल अधिकारी का कार्यालय,धनबाद ।

ज्ञापांक 1056 दिनांक 01/09/17

अ०क्र० - 40/17-18

प्रेषित,

श्री [illegible] सिंह

अमीन, धनबाद ।

विषयः जमीन मापी के संबंध में ।

श्री / श्रीमती [illegible] सिंह प्रति / पिता [illegible] सिंह सा० [illegible] धनबाद ने मौजा [illegible] मौजा न0 86 खाता न0 196 प्लॉट न0 4334 रकबा [illegible] भूमि का मापी हेतु अनुरोध किया है । आवेदक के द्वारा निर्धारित मापी शुल्क अंचल नजारत मे जमा कर दी गई है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का मापी दिनांक 19/9/17 को करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही मापी प्रतिवेदन एवं नक्शा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर जमा कर दें।

[signature] 01/09/17

अंचल अधिकारी,

धनबाद ।

ज्ञापांक 1056 दिनांक 01/09/17

प्रतिलिपिः श्री [illegible] सिंह [illegible]

को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हे सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर मापी मे अंचल अमीन को सहयोग करेंगे।

[signature] 01/09/17

अंचल अधिकारी,

धनबाद।

Ashasingh

आवेदन की तिथि 3/11/17
अधिसूचना कि तिथि 11/12/17
निर्गत तिथि 12/12/17

सेवा में,
श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय,
अंचल कार्यालय, धनबाद।

विषयः– अमीन मापी अभिलेख सं0–40/17–18 के द्वारा मौजा–धैया के अन्तर्गत जमीन मापी करने के संबंध में आदेश।

प्रसंगः– ज्ञापांक सं0–1139, दिनांक 22.09.2017, पुनः आदेश दिनांक 01.09.2017 के क्रम में।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में निवेदन यह है कि आपके आदेशानुसार मौजा–धैया, मौजा नं0–06, वर्तमान थाना–सरायढ़ेला से प्राप्त पुलिस बल की उपस्थिति में स्थल का मापी दिनांक 16/10/17 को वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में करा कर स्थल पर आवागमन से विवादित समस्या का समाधान किया गया।

मापी के क्रम में पाया गया कि श्री जितेन्द्र सिंह Vs. आनन्द किस्कू, एम0पी0 केस नं0–24/2008 के तहत न्यायालय में चल रहे मुकदमा की सुनवाई करते हुये अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यह आदेश पारित की गयी कि प्रतिवादी श्री जितेन्द्र सिंह का घर, आंगन, कुँआ, परिसर पूर्व से निर्मित है। वह भू–भाग मौजा–धैया, मौजा नं0–06 के अधीन खाता नं0–196, प्लॉट नं0–4334 के अन्तर्गत है और आनन्द किस्कू का खाता नं0–29, प्लॉट नं0–4332 है। एक दूसरे के प्लॉट पर कोई अधिकार नहीं रखते हैं। परन्तु ग्राम सर्वे नक्शा में आवागमन का कोई मार्ग नहीं दर्शाया गया है। परन्तु स्थल पर आवागमन हो रहा है और यह सड़क सरकार द्वारा पक्का निर्माण करवाया गया है। इस मार्ग के किनारे बिजली का पोल और जल सप्लाई पाइप सरकार द्वारा लगायी गयी है।

मापी के क्रम में यह पाया गया कि यह मार्ग, प्लॉट नं0–4332 एवं 4334 दोनों भू–भाग के अन्तर्गत आंशिक भाग पर है। अब यह मार्ग सभी के काम में आ रहा है और इस मार्ग से बड़ी–बड़ी इमारतों का आवागमन का यही एकमात्र रास्ता है।

प्लॉट नं0–4334 के अन्तर्गत 12 कठ्ठा 14 छटाँक जमीन स्थल पर चिन्हीत की गयी से संबंधित नक्शा बनाकर पीला रंग से रंग कर दर्शाया गया है। यह भू–भाग जितेन्द्र सिंह के पितामह के द्वारा झरिया राज स्टेट से सेटलमेन्ट करायी गयी है। उनके स्वर्गीय होने के बाद वर्तमान समय में एकमात्र मालिक श्री जितेन्द्र सिंह, पिता स्व0 त्रिलोकी नाथ सिंह, धैया निवासी हैं।

वाद–विवाद से संबंधित न्यायालय से न्याय प्राप्त कागजात की छायाप्रति जमीन मालिक के द्वारा सुपुर्द की गयी है, उसे अपने प्रतिवेदन में नक्शा सह कागजात संलग्न कर श्रीमान को समर्पित करता हूँ।

आपका विश्वासी
04/11/2017
अमीन
(धर्म नाथ सिंह)
अंचल कार्यालय, धनबाद।

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय

मेरे द्वारा फोटा कोपी किया गया

मैंने मिलान किया
सहायक